



विद्युत उपभोक्ता क्या आप जानते हैं ?

- झारखण्ड राज्य में विद्युत वितरण लाइसेंसिंग का विवरण एवं क्षेत्राधिकार :-

क्रम सं.	नाम	क्षेत्र जिसमें उनके द्वारा विद्युत वितरण एवं आपूर्ति की जाती है ।
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	पूरे राज्य में ।
2	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्षेत्र में (जिला - धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं चतरा)।
3	टाटा स्टील	जमशेदपुर टाउनशीप में ।
4	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, बोकारो	बोकारो स्टील सिटी टाउनशीप में ।
5	जुस्को	सरायकेला खरसौवा जिला क्षेत्र में ।

- झारखण्ड राज्य के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का विवरण एवं क्षेत्राधिकार

क्रम सं.	वितरण लाइसेंसी का नाम	उपभोक्ता फोरम का नाम	क्षेत्राधिकार (जिला)
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)	1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), राँची VUSNF, आरटीसन होस्टल नं० ३, धुर्गा, राँची । मो० नं० - ९४३०३३४७४८	राँची, खंटी, सिमडेगा, गुमला एवं लोहरदगा
		2. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), हजारीबाग देवांगना चौक, कोरा चौक के नजदीक, हजारीबाग मो० नं० - ९४३१५८५५८४	हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा एवं रामगढ़
		3. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), दुमका टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रीक सप्लाई एरिया, दुमका मो० नं० - ६२०१६३१२७४	दुमका, जामतारा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज
		4. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), चाईबासा पो०ओ० - करणडीह, पी०एस० - परसुडीह, सिंहभूमि ईस्ट, जमशेदपुर मो० नं० - ९४३१३७३४५९	पुर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला-खरसांवा
		5. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), मेदनीनगर झारखण्ड टेट इलेक्ट्रीकसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रीक सप्लाई एरिया, मेदनीनगर मो० नं० - ९४३१३५५५७३	मेदनीनगर, गढ़वा, लातेहार
2	टाटा स्टील	फोरम फॉर रिफ्रेसल ३०फ गीवांस ३०फ द कंजूमर्स नॉर्थ कासीडीह, ओल्ड बरदवारी, साकची, जमशेदपुर मो० नं० - ९४७१५४२८२३	जमशेदपुर टाउनशीप
3	जुस्को	फोरम फॉर रिफ्रेसल ३०फ गीवांस ३०फ द कंजूमर्स रुम नं० - ०६, आदित्यपुर, आदित्यपुर ऑटो कलसटर, फेज ७, आदित्यपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसौवा मो० नं० - ०६५७-२४४१७३१, ०६५७ ७६६५२३१०	सरायकेला खरसौवा
4	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, बोकारो	फोरम फॉर रिफ्रेसल ३०फ गीवांस ३०फ द कंजूमर्स नगर सेवा भवन, रुम नं० - ११७, बोकारो स्टील सिटी, सेक्टर-३	बोकारो स्टील सिटी टाउनशीप
5	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), मैथन सी०टी०सी० डी०भी०सी०, मैथन मो० नं० - ९४३१८८४३७ ९५०७५१३१००	केवल दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्षेत्र

- झारखण्ड राज्य के विद्युत लोकपाल / ओमबुइसमैन का विवरण

विद्युत लोकपाल/ओमबुइसमैन	श्री पी०पी० पाण्डे मो० नं० - ९४३१८८६०६ २८ तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन सह-सैनिक बाजार, मेन रोड, राँची - ८३४००१
--------------------------	---

- उचित गुणवत्तापूर्ण बिजली पाना आपका अधिकार है ।
- विनियम (Regulation) पढ़े और अपना अधिकार जाने । विनियम/ Regulation आयोग के वेबसाइट www.jserc.org/Regulation.aspx पर उपलब्ध है ।
- जब जलरत हो बिजली का इस्तेमाल करे, काम हो जाने पर स्थित को बंद करना न भूलें ।
- बिजली की चोरी करना एक दण्डनीय अपराध है । बिजली की चोरी को रोकने में मदद करें क्योंकि चोरी की गई बिजली के भुगतान का भार आप जैसे ईमानदार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है ।

- बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए विद्युत वितरण लाइसेंसी को आवेदन देना है और आपको **विद्युत अधिनियम 2003 की घारा 43** के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर (**JSERC सप्लाई कोड ऐगुलेशन** के अध्यधीन रहते हुए) विद्युत कनेक्शन मिलना है।
- यदि विद्युत उपभोक्ता के परिसर में बिजली बाधित है /कट गया है या बिजली सप्लाई में कोई शिकायत है या बिजली बिल से संबंधित शिकायत है तो वितरण कम्पनी के **शिकायत केन्द्र*** पर शिकायत करें तथा शिकायत नम्बर, समय और तारीख प्राप्त कर रखें। यदि आपकी शिकायत ऐगुलेशन में निर्धारित समय के अंदर दूर नहीं की जाती हैं तब आप विद्युत अधिनियम की घारा - 57 के अंतर्गत रहते हुए आयोग द्वारा बनाये गये **स्टैर्क्ड ऑफ पॉर्टफोरमेंस ऐगुलेशन, 2015** में निर्धारित हर्जाने के हकदार हैं।
- यदि विद्युत वितरण कम्पनी, विद्युत अधिनियम 2003 या आयोग द्वारा बनाये गये ऐगुलेशन या वितरक के टैरिफ आर्डर में दिये गये नियमों का पालन नहीं करती है तो आप वितरक कम्पनी के शिकायत केन्द्र में शिकायत दर्ज कर शिकायत नम्बर, समय और तारीख प्राप्त करें। शिकायत का समाधान नहीं होने पर **उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF)** के पास शिकायत दर्ज कराएँ, जिन्हें नियत समय के अंदर आपकी शिकायत का निराकरण करना है। यदि **VUSNF** के द्वारा आपके शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता है या आप उपरोक्त फोरम के आदेश से असंतुष्ट हैं तो आप आयोग द्वारा स्थापित विद्युत लोकपाल/ओम्बुड्समैन के द्वारा आवेदन/अपील करें।
- प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को **JSERC सप्लाई कोड ऐगुलेशन** के 8.2.16 के प्रावधान के अंतर्गत जमानत राशि (Security Deposit) पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेस रेट पर वितरण कम्पनी से सालाना व्याज प्राप्त करने का अधिकार है।
- प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को प्रत्येक माह उपभोक्ता को बिजली बिल/विपत्र देना अनिवार्य है। **विद्युत अधिनियम 2003 की घारा - 56 (2)** के अंतर्गत दो वर्षों से अधिक अवधि का विद्युत बकाया राशि कालबाधित हो जाती है।
- द्राङ्सफॉर्मर में साधारण पर्यूज उड़ने पर शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 घंटे के भीतर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 24 घंटे के भीतर ठीक होना है। यदि उपरोक्त समय सीमा में पर्यूज ठीक नहीं किया जाता है तो प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को मुआवजा मांगने पर 25 रु प्रतिदिन की दर से वितरण कम्पनी द्वारा देय होगी।
- त्रुटिपूर्ण या जले हुए ड्राङ्सफॉर्मर को शहरी क्षेत्र में अधिकतम 24 घंटे के भीतर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे के भीतर बदल देना है। यदि उपरोक्त समय सीमा में ड्राङ्सफॉर्मर नहीं बदला जाता है तो मुआवजा मांगने पर प्रत्येक उपभोक्ता को 25 रु प्रतिदिन की दर से हर्जाना वितरण कम्पनी द्वारा देय होगी।
- ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास परिसर का वैद्य अधिकार या स्वामित्व संबंधि दस्तावेज नहीं है वे भी **सप्लाई कोड** के प्रथम संशोधन ऐगुलेशन 2019 के अंतर्गत 2 KW तक का प्रोविजनल विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं।
- ऐसे क्षेत्र में जहाँ दो या दो से अधिक विद्युत वितरण कम्पनियों का क्षेत्राधिकार है, वहाँ के विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत वितरण कम्पनी को **JSERC (ऑपरेशन ऑफ समानांतर विज्ञप्तिधारी) ऐगुलेशन, 2019** के अंतर्गत बदल सकते हैं।

* **JBVNL** का जिलावार शिकायत केंद्र का नम्बर - रॉची, खूंदी - 9973653150, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा - 9608356155, पलामू, लातेहार - 6299304207, गढ़वा - 9117100709, हजारीबाग, चतरा - 7991176169, रामगढ़ - 9939578598, धनबाद - 7903881017, बोकारो - 7903491988, पूर्वी सिंहभूम - 7004713173, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला - 9708106863, दुमका, जामताड़ा - 9905306663, देवघर, गोड्डा - 6204208503, साहेबगंज, पाकुड़ - 6201806820, गिरिधील - 7903811275, कोडरमा - 7004950728।

* **JUSCO** एवं **TSL** के शिकायत केंद्र का नम्बर - 0657-6646000

* **SAIL Bokaro** के शिकायत केंद्र का नम्बर - 8986871554

* **DVC** के शिकायत केंद्र का नम्बर - 9431704395

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनहित में जारी।

आदेशानुसार

(आर० पी० नायक)
सचिव